रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 1994/फाल्गुन 18, 1915
No. 107] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 1994/PHALGUNA 18, 1915

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना सं. 29(आरई)/92—97

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1994

का.आ. 217 (अ):—विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22), द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.आ. (अ) दिनांक 31 मार्च, 1993 के द्वारा प्रकाशित निर्यात-आयात नीति, 1992—97 (संशोधित संस्करण, मार्च, 1993) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

अध्याय 15, भाग II, पैराग्राफ 156, खंड क, में शीर्षक "लेकिन निम्नलिखित मदें मुक्त रूप से आयात की जा सकेंगी यद्यपि वे उपभोक्ता माल के रूप में मानी जाएं:—" में, क्रम सं. 36 पर प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित मद क्रम संख्या 37 के रूप में जोड़ी जाएगी।

"37. परिष्कृत चीनी (रिफाइन्ड शूगर)"

2. इसे लोकहित में जारी किया गया है ।

[सिसिल सं. आईपीसी/4/5/(420)/92-97]

डा.पी.एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक विदेश व्यापार और पदेन
अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION NO. 29 (RE)/92—97

New Delhi, the 9th March, 1994

S.O. 217(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), the Central Government hereby makes the following amendments in the Export and Import Policy, 1992—97, (Revised Edition : March, 1993) published under the Notification of Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 222(E), dated the 31st March, 1993, namely :—

In Chapter XV, Part II, Paragraph 156, Section A, under the heading "However, the following items shall be freely importable although they may be regarded as Consumer goods :—", after the entry at Sl. No. 36, the following shall be added as Sl. No. 37 :—
"37. Refined Sugar.".

2. This issues in public interest.

[File No. IPC/4/5(420)/92—97]
Sd/-
DR. P. L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade
and Ex-Officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994